

क्रमांक:- 322 / 2026

अशोकनगर, दिनांक - 09.05.2026

प्रति,

✓ **अध्यक्ष/सचिव**

जिला अभिभाषक संघ,
जिला न्यायालय अशोकनगर म.प्र.।

विषय :- म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव दिनांक 12.05.2026 के संबंध में।

संदर्भ :- हाई पावर इलेक्शन कमेटी, स्टेट बार काउंसिल आफ म.प्र., जबलपुर म.प्र. के द्वारा म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव दिनांक 12.05.2026 के संदर्भ में अपनायी जाने वाली मतदान प्रक्रिया।

आपको लेख है कि इस वर्ष म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव दिनांक 12.05.2026 के समय सुबह 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक स्थान एडीआर सेंटर स्थित जिला न्यायालय अशोकनगर के भू-तल पर कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद के मतदाताओं को सूचित करें की मतदाता मतदान के समय म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा या जिला/तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा जारी परिचय पत्र अपने साथ लेकर आना सुनिश्चित करें और ऐसा नहीं किये जाने पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव के द्वारा मतदाता को पहचान करानी होगी, जिससे सुचारु मतदान प्रक्रिया संपादित करायी जा सकें।

(किरण तुमराची धर्वे)
मतदान अधिकारी, जिला अशोकनगर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर (म.प्र.)

(सजीव सिंघल)
मुख्य मतदान अधिकारी,
जिला अशोकनगर
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म.प्र.)
अशोकनगर दिनांक2026

पृष्ठांकन क्रमांक / 2026

प्रतिलिपि :-

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
2. हाई पावर इलेक्शन कमेटी, स्टेट बार काउंसिल आफ म.प्र., जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला नाजिर, जिला न्यायालय अशोकनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित की जिला नाजिर इस परिपत्र की प्रति जिला अभिभाषक संघ, एडीआर सेंटर जिला अशोकनगर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नोटिस बोर्ड व न्यायालय के मुख्य गेट के बाहर चस्पा कर अपना प्रतिवेदन पेश करे।
4. ब्यूरो चीफ/संपादक, दैनिक भास्कर समाचार-पत्र अशोकनगर को इस आशय से प्रेषित की परिपत्र सूचना को मुद्रित कर प्रकाशित करे।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला अशोकनगर को इस आशय से प्रेषित की पुलिस अधीक्षक, जिला अशोकनगर मतदान केंद्र पर मतदान संपादित कराये जाने हेतु आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराये।
6. सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल, अशोकनगर को इस आशय से प्रेषित कि सिविल सर्जन/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी मतदान केंद्र पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रखना सुनिश्चित करें।
7. श्रीमान कम्प्यूटर प्रभारी अधिकारी, जिला न्यायालय अशोकनगर की ओर इस आशय से प्रेषित कि संबंधित को निर्देशित करें कि न्यायालय की वेबसाईट पर उक्त परिपत्र को अपलोड करें।
8. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर को इस आशय से सूचना प्रेषित कि उक्त परिपत्र के संबंध में आवश्यक व्यवस्था एवं सहायता उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(किरण तुमराची धर्वे)
मतदान अधिकारी, जिला अशोकनगर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर (म.प्र.)

(सजीव सिंघल)
मुख्य मतदान अधिकारी,
जिला अशोकनगर
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म.प्र.)